(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 3984–एक/2016 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 1–9–16 – पारित द्वारा – आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 362 बी–103/2013–14 अपील

ललितकुमार पुत्र ईश्वरदास केशरवानी
निवासी कटरा वस्ती आधारताल
सुभाष वार्ड जबलपुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2– कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर
3– उप पंजीयक जोन क्र–1 जबलपुर --- अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0एल0प्रजापति)

आ दे श

(आज दिनांक 5– 12 –2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 362 बी–103/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–9–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने मौजा अमखेरा राजस्व निरीक्षक मण्डल महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 269/12 में आवंटित खंड क्रमांक 269/16 का रकबा 0.19 आरे अर्थात 2000

वर्गफुट का विक्रय पत्र रू. 9,30,000/- मूल्यांकित करके रू. 58,130/- के नान ज्युडिसियल स्टाम्प पर लिखवाकर उप पंजीयक जबलपुर को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक द्वारा उक्तांकित भूखंड का बाजार मूल्य रू. 13,94,000/- प्रतावित कर जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर जबलपुर को प्रकरण प्रस्तुत किया। कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 334 बी-103/2012-13 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 26-11-2013 पारित करके उक्तांकित संपत्ति का मूल्य 13,94,000/- मूल्यांकित करके कम मुद्रांक शुल्क रू. 68627/- एंव शास्ति राशि रू. 1073/- कुल रू. 70,000/- निर्धारित कर शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 362 बी-103/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-9-16 से अपील अस्वीकार कर कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक जबलपुर का आदेश दिनांक 26-11-2013 यथावत् रखा। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी आवेदन में दिये गये विवरण पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये हैं। म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी के निराकरण पर विचार किया गया। कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक जबलपुर के आदेश दिनांक 26-11-2013 के अवलोकन पर तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 1-9-16 के अवलोकन पर पाया गया कि उनके द्वारा प्रकरणों का निराकरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत किया गया है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एंव भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 40 (1) (च) में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :-

" प्रत्येक प्रथम तथा द्वित्तीय अपील उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील फाईल की गई हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की, जिसके संबंध में आपत्त की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ फाईल की जाएगी तथा ऐसी रीति में, उपस्थापित एंव सत्यापित की जाएगी , जो कि विहित की जाएगी. "

उक्त का आशय यही है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एंव भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 40 (1) (च) के अंतर्गत मूल न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक जबलपुर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने सुनी है तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश के विरूद्ध केवल द्वित्तीय अपील इसी अधिनियम में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सुनी जावेगी, जबकि आवेदक ने आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 1-9-16 के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की है जो प्रचलन-योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य न पाये जाने से अमान्य की जाती है जिसके कारण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 362 बी-103/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-9-16 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर